

अंतिम डिक्री व मुकदमें इक्वाई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान


लक्ष्मी बनाम बलदेव

दावा बाबत :- 53, 88, 188 राज. का. अधि० 1955

राजस्व मुकदमा नम्बर - 62/2024
पेश करने की दिनांक - 01.04.2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू देवीलाल यादव (आर. ए. एस)-व हाजिर अभिभाषक सीताराम रावत मुद्दई राज० पैरोकार अभिभाषक मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :-

ग्राम धोलादांता न्यारा के हाल खसरा नम्बर 52 रकबा 0.14 व 51/1 रकबा 0.0350 का खातेदार वादी लक्ष्मी पत्नी रामा को खसरा नम्बर 51/2 रकबा 0.0950 व 45 रकबा 0.08 का खातेदार किशना पुत्र छोगा को घोषित किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।


उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक----- को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।
बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 28 माह 11 सन् 2025 को जारी की गयी।


मुद्दई

मुदायला

स्टाम्प अरजी दावा
स्टाम्प वकालतनामा
स्टाम्प वजह सबूत
मेहनताना वकील
फीस कमिश्नर
खर्चा गवाहान
बाबत् इजराय हुक्मनामा
मुतफरिक

स्टाम्प वकालतनामा
स्टाम्प अरजी
मेहनताना वकील
खर्चा गवाहान
फीस कमिश्नर
बाबत् इजराय हुक्मनामा
मुतफरिक

मिजान


उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

